डीओईएससीसी सोसायटी

सं. डीओईएससीसी/सीसीयू/स्था/19/2005(खण्ड)/554 दिनांक : 6 अक्तूबर, 2010

सेवा में

निदेशक/प्रभारी निदेशक
डीओईएससीसी सोसायटी
सभी केन्द्र

विषय : वर्ग 'क' से नीचे के स्तर के अधिकारियों के लिए पीओपी के अन्तर्गत चयन समिति के गठन में संशोधन।

महोदय/महोदया,

डीओईएससीसी सोसायटी के सभी केन्द्र वर्ग 'क' से नीचे के स्तर के गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अधिकारियों की पदोन्नति के मामले पर विचार कर रहे हैं। वर्ग 'क' से नीचे के स्तर के अधिकारियों के लिए पीओपी के अन्तर्गत चयन समिति में संस्था प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक अथवा समस्तर से अन्यून) समिति का एक सदस्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त निदेशक, संस्था प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न डीओईएससीसी केन्द्रों की चयन समिति की बैठकों में भाग लेने में असमर्थ रहते हैं, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अब निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :

"चयन समिति में संयुक्त निदेशक, एबीसी प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक स्तर के एक अधिकारी (कार्मिक मामलों का अनुभव रखने वाले गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी) को सहयोजित किया जाए, जिसमें संबंधित डीओईएससीसी केन्द्र के स्थापना स्थल पर स्थित इसके अन्य कार्यालय (संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, संस्थाएँ) शामिल हैं।"

2. अतः अनुरोध है कि संस्था की पीओपी के अन्तर्गत वर्ग 'क' से नीचे के स्तर के अधिकारियों की समीक्षा पदेन्नति के लिए चयन समिति का गठन करते समय इस निर्णय का अनुपालन किया जाए। कुछ केन्द्रों ने संयुक्त निदेशक, एबीसी प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से बैठक के लिए सुविधाजनक तिथि के संबंध में पहले ही अनुरोध किया है। केन्द्र अब उपर्युक्त परिवर्तन के अनुसार चयन समिति का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करें।

धन्यवाद।

भवदीय

हस्ता/-
(एम.आई. सिद्दीकी)
रजिस्ट्रार

डीओईएससीसी सोसायटी

सं. डीओईएससीसी/सीसीयू/स्था/54/09/315 दिनांक : 1 जून, 2011

सेवा में

निदेशक/प्रभारी निदेशक
डीओईएससीसी सोसायटी
सभी केन्द्र

विषय : i) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के रख-रखाव एवं तैयार करने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन।
ii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थाओं में वर्ग 'क' से नीचे के स्तर के वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अधिकारियों की समीक्षा पदोन्नति।

महोदय/महोदया,

वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, कुछ केन्द्रों द्वारा पीओपी के अन्तर्गत कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में विचार करते समय नई एआरपीआर प्रणाली के अन्तर्गत ग्रेड प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण माँगे गए हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अब यह निर्णय किया गया है कि एआरपीआर में नीचे दी गई ग्रेडिंग पर विचार किया जाएगा :

एआरपीआर में प्राप्त अंक	**एआरपीआर के प्रावधान के अनुसार ग्रेड**	**पीओपी के प्रावधान के अनुसार अंक**
अंक 8 लेकिन 10 के कम	उत्कृष्ट	10
अंक 6 लेकिन 08 के कम	बहुत अच्छा	08
अंक 4 लेकिन 06 के कम	अच्छा	06
अंक 2 लेकिन 04 के कम	--	04
अंक 02 से कम	--	00

2. इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने दिनांक 28.4.2011 के पत्र के जरिए निदेश दिया है कि विभाग में लिए गए निर्णय के अनुसार, वर्ग 'क' से नीचे के स्तर के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों की समीक्षा पदोन्नति की पुरानी नीति समाप्त कर दी गई है और यह निर्णय किया गया है कि वर्ग 'क' से नीचे के स्तर के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों की पदोन्नति पर आगे से दिनांक 19.5.2009 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए लागू की गई समय-समय पर यथा संशोधित "संशोधित आश्वस्त आजीविका संवर्धन (एमएसीपी)" योजना के अन्तर्गत विचार किया जाएगा। इन निदेशों का कार्यान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थाओं द्वारा आवश्यक परिवर्तन के साथ किया जाएगा। उक्त पत्र की एक प्रतिलिपि अनुपालन के लिए संलग्न है।

डीओईएससीसी सोसायटी

सं. 1(12)/2005-डीओईएससीसी/484 दिनांक : 23 अगस्त, 2010

सेवा में

निदेशक/प्रभारी निदेशक/मुख्य अन्वेषक
डीओईएससीसी सोसायटी
सभी केन्द्र

विषय : डीओईएससीसी सोसायटी के कर्मचारियों की व्यक्ति परक पदोन्नति नीति (पीओपी) के अन्तर्गत पदोन्नति।

महोदय/महोदया,

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 28 जुलाई, 2010 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसके जरिए वर्तमान ग्रेड में कर्मचारियों की सेवा की अवधि के संबंध में पीओपी की कार्यपद्धति पुनः परिचालित की गई थी। सेवा की अवधि की गणना से संबंधित मामले पर पुनर्विचार किया गया और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पिछले दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए निम्नलिखित का अनुपालन करने का निर्णय किया गया है :

"सेवा की अवधि का गणना करने के प्रयोजन से, उच्चतर ग्रेड पर पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए कर्मचारी द्वारा वर्तमान ग्रेड में की गई छह महीने की नियमित एवं लगातार सेवा को पूरे वर्ष की सेवा मानी जाएगी।"

2. अतः यह सलाह दी जाती है कि 01.01.2010 को तथा उसके बाद की जाने वाली समीक्षा पदोन्नति के मामलों में सेवा की अवधि का निर्धारण पीओपी के संबंध में अगला दिशा-निर्देश जारी होने तक उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

धन्यवाद।

भवदीय

हस्ता/-
(एम.आई. सिद्दीकी)
रजिस्ट्रार

डीओईएसीसी सोसायटी

पदोन्नति नीति के लिए दिशा-निर्देश

1. वैज्ञानिक एवं तकनीकी वर्ग 'क' अधिकारियों के मामले में :-

संस्था में वर्ग 'क' के समकक्ष स्तर की पदों पर वैज्ञानिक/इंजीनियर फ्लेक्सिबल कम्प्लीमेंटिंग स्कीम (एफसीएस) द्वारा नियंत्रित होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित, लागू है। पदोन्नत किए गए व्यक्ति उच्चतर पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक वे डीओईएसीसी सोसायटी में स्वीकृत निचले पद की सेवा में जारी रहेंगे, जिसपर उनकी नियुक्ति की गई थी। उच्चतर पद पर पदोन्नत होने पर उनके निचले स्तर का पद अस्थायी रूप में अपग्रेड हो जाएगा और रिक्त नहीं होगा। इस्तीफा देने/सेवानिवृत्ति के कारण जब वे पदभार छोड़ेंगे/छोड़ेंगी, तब जिस पद पर उनकी आरम्भिक नियुक्ति हुई थी वह पद रिक्त होगा और उसे सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाएगा।

2. वर्ग 'क' से नीचे स्तर के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों तथा अन्य गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में :-

वर्ग 'क' से नीचे स्तर के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों तथा अन्य गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में संस्था की एक "व्यक्ति परक पदोन्नति" योजना होगी। पदोन्नत किए गए व्यक्ति उच्चतर पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक वे डीओईएसीसी सोसायटी में स्वीकृत निचले पद की सेवा में जारी रहेंगे, जिसपर उनकी नियुक्ति की गई थी। उच्चतर पद पर पदोन्नत होने पर उनके निचले स्तर का पद अस्थायी रूप में अपग्रेड हो जाएगा और रिक्त नहीं होगा। इस्तीफा देने/सेवानिवृत्ति के कारण जब वे पदभार छोड़ेंगे/छोड़ेंगी, तब जिस पद पर उनकी आरम्भिक नियुक्ति हुई थी वह पद रिक्त होगा और उसे सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाएगा।

3. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट - मूल्यांकन स्तर

प्रत्येक कर्मचारी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एसीआर) तैयार की जाएगी। एसीआर का मूल्यांकन नीचे दिए अनुसार 10 बिन्दु-स्तर पर किया जाएगा :

उत्कृष्ट	-	अत्युतम निष्पादन - सभी लक्ष्यों को अपेक्षा के अनुसार तथा उससे अधिक हासिल किया और सभी कार्यों को बहुत अच्छी तरह पूरा किया।	10
बहुत अच्छा	-	बहुत अच्छा निष्पादन तथा सभी लक्ष्यों को अपेक्षा के अनुसार पूरा किया और सभी ड्यूटियों को अपेक्षा के अनुसार पूरा किया।	08
अच्छा	-	संतोषजनक निष्पादन - कुछ लक्ष्यों को अपेक्षा के अनुसार पूरा किया और दिए गए अधिकांश कार्यों को पूरा किया।	06
औसत	-	अपेक्षा के अनुसार लक्ष्यों को हासिल करने तथा दिए गए कार्यों को पूरा करने में सुधार करने की जरूरत है।	04
घटिया	-		00

4. कार्यकाल की अवधि :

डीओईएसीसी सोसायटी की पदोन्नति योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी पदों के लिए निम्नलिखित एक समान वेतनमान होंगे और 16,400-20,000 रु. तक के स्तर के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी कार्यकाल की एक न्यूनतम अवधि होगी :

वेतनमान		कार्यकाल की एक न्यूनतम
निचला ग्रेड	**उच्चतर ग्रेड**	**अवधि**
1. रु. 3050 - रु. 4590	रु. 4000 - रु. 6000	3 वर्ष
2. रु. 4000 - रु. 6000	रु. 5500 - रु. 9000	4 वर्ष
3. रु. 5500 - रु. 9000	रु. 6500 - रु. 10500	4 वर्ष
4. रु. 6500 - रु. 10500	रु. 8000 - रु. 13500	3 वर्ष
5. रु. 8000 - रु. 13500	रु. 10000 - रु. 15200	4 वर्ष
6. रु. 10000 - रु. 15200	रु. 12000 - रु. 16500	4 वर्ष
7. रु. 12000 - रु. 16500	रु. 14300 - रु. 18300	4 वर्ष
8. रु. 14300 - रु. 18300	रु. 16400 - रु. 20000	5 वर्ष

5. स्क्रीनिंग के मानदण्ड

पदोन्नति के लिए विचार करने के प्रयोजन से, पहले सभी अधिकारियों की स्क्रीनिंग उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (एसीआर) के मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी; एसीआर का मूल्यांकन 10 बिन्दु-स्तर पर किया जाएगा जिसमें "उत्कृष्ट" के लिए 10 अंक, "बहुत अच्छा" के लिए 08 अंक, "अच्छा" के लिए 06 अंक, "औसत" के लिए 2 अंक तथा "घटिया" के लिए 0 अंक दिए जाएंगे और केवल उन अधिकारियों की ही स्क्रीनिंग की जाएगी जो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित उनके कार्यनिष्पादन के साथ-साथ न्यूनतम कार्यकाल की अवधि पूरी करेंगे :

क्र.सं.	**वेतनमान (रु.)**	**ग्रेड में वर्षों की सं.**					
		3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष	8 वर्ष
1.	3050-75-3950-80-4590	90%	80%	70%	60%	--	--
2.	4000-100-6000		90%	80%	70%	60%	--
3.	5500-175-9000		90%	80%	70%	60%	--
4.	6500-200-10500	90%	80%	70%	60%	--	--
5.	8000-275-13500		90%	80%	70%	60%	--
6.	10000-325-15200		90%	80%	70%	60%	--
7.	12000-375-16500		90%	80%	70%	60%	--
8	14300-400-18300			90%	80%	70%	60%
9.	16400-450-20000			90%	80%	70%	60%

5.1 प्राप्त अर्हता के संदर्भ में किस स्तर तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी (वर्ग 'क' से नीचे) पदोन्नत किए जा सकते हैं, इसका निश्चय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशों के अनुसार किया जाएगा, जिसके अनुसार जिन अधिकारियों को बी.ई., बी.टेक, एमएससी, एमसीए या समकक्ष स्तर की अर्हता प्राप्त है उन्हें

18400-22400 रु. के वेतनमान के स्तर तक पदोन्नत करने पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी इस स्तर पर उच्चतर अर्हता प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसकी पदोन्नति 10000-15200 रु. के स्तर तथा वेतनमान तक हो सकती है।

5.2 सेवा की अवधि की गणना

किसी ग्रेड में सेवा की अवधि की गणना करने के लिए, प्रत्येक वर्ष वर्तमान ग्रेड में नियमित एवं लगातार सेवा की पूरी अवधि की गणना अगले उच्चतर ग्रेड पर पदोन्नति के लिए विचार करने के प्रयोजन से की जाएगी। लेकिन, किसी वर्ष 3 महीने से कम की सेवा को छोड़ दिया जाएगा।

5.3 एसीआर तथा साक्षात्कार की भारिता

एसीआर की स्क्रीनिंग	50 अंक
साक्षात्कार	50 अंक

5.4 चयन के मानदण्ड

स्क्रीनिंग में चुने गए सभी अधिकारियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में कार्यनिष्पादन को भी इसी प्रकार 10 बिन्दु स्तर में रखा जाएगा और पदोन्नति की पात्रता भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों के मामले में पैरा 5, 5.1 तथा 5.2 में दिए गए मानदण्डों के अनुसार तथा गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों के मामले में पैरा 5.2 में दिए गए मानदण्डों के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, होगी।

5.5 चयन समिति द्वारा पदोन्नति के लिए अन्तिम मूल्यांकन एसीआर के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में कार्यनिष्पादन, दोनों को मिलाकर किया जाएगा, पैरा 5.3 में यथा उल्लिखित अंकों की भारिता के अनुसार। यदि उम्मीदवार पैरा उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करता है तो उसे अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए संस्तुत किया जाएगा।

5.6 मूल्यांकन की निर्दिष्ट तिथि

पदोन्नति के मामले में, पात्रता के निर्धारण की निर्दिष्ट तिथि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी होगी, जिसमें पदोन्नति करने का प्रस्ताव है और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिससे पदोन्नति उस वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी की जाए।

5.7 स्क्रीनिंग एवं चयन समिति का गठन

निम्नलिखित स्क्रीनिंग एवं चयन समिति के गठन का प्रस्ताव है :

स्क्रीनिंग समिति (गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए)

मुख्यालय में

1) कार्यकारी निदेशक या उनके प्रतिनिधि
2) रजिस्ट्रार या कार्यकारी निदेशक द्वारा नामित कोई अधिकारी
3) संस्था प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

डीओईएसीसी केन्द्रों में

1) केन्द्र के निदेशक
2) प्रशासन एवं वित्त अधिकारी/केन्द्र के निदेशक द्वारा नामित कोई अधिकारी
3) मुख्यालय का प्रतिनिधि

चयन समिति

वर्ग 'क' (गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी)

1) संयुक्त सचिव, संस्था प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष
2) कार्यकारी निदेशक/केन्द्र का निदेशक	सदस्य
3) संबंधित क्षेत्र में बाहर का कोई विशेषज्ञ	सदस्य

वर्ग 'क' से नीचे (गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी)

1) मुख्यालय के मामले में कार्यकारी निदेशक या संबंधित केन्द्र का निदेशक	अध्यक्ष
2) संस्था प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि संयुक्त निदेशक या समस्तर से नीचे न हो	सदस्य
3) संबंधित क्षेत्र में बाहर का कोई विशेषज्ञ	सदस्य

वर्ग 'घ' कर्मचारी (एसए-I)

वर्ग 'घ' के जिन कर्मचारियों ने अपने ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा जिनके पास मैट्रिकुलेशन की अपेक्षित अर्हता है, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा, बशर्ते वे संस्था द्वारा नीचे दिए अनुसार अलग से ली जाने वाली लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक प्राप्त करके इसकी योग्यता हासिल करें :

1. i) प्राथमिक सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान तथा सामान्य ज्ञान	- 50 अंक
ii) प्राथमिक गणित	- 50 अंक
2. साक्षात्कार	- 100 अंक

लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर वर्ग 'घ' के जिन कर्मचारियों को पदोन्नति के उपयुक्त पाया जाएगा उन्हें 3050-4590/- रु. के वेतनमान में पदोन्नत किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को 3050-4590/- रु. के वेतनमान में पदोन्नत किया जाएगा, उन्हें एफआर 26 के अन्तर्गत नियम 16 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति की तिथि से दो वर्षों के अन्दर कम्प्यूटर की परीक्षा पास करनी होगी जो 'सीसीसी' की पाठ्यचर्या के अनुसार होगी।

वर्घ 'घ' कर्मचारी (एसटी-I)

वर्ग 'घ' कर्मचारियो के मामले में, जिन कर्मचारियों ने अपने ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उनके लिए एक कुशलता परीक्षा/लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुशलता परीक्षा/लिखित परीक्षा

में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति देने की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से कार्यकारी निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जाएगा।

टिप्पणी : **प्रवरण ग्रेड उस ग्रेड का अगला उच्चतर ग्रेड होगा जिसमें किसी कर्मचारी ने कम से कम 12 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। यदि किसी कर्मचारी को उपर्युक्त योजना के अनुसार पदोन्नति नहीं मिलती है, तो उसके मामले में निचले ग्रेड में 12 वर्षों के अन्यून अर्हक सेवा की शर्त को पूरा करने पर उसे प्रवरण ग्रेड में पदोन्नत करने पर विचार किया जा सकता है।**